

व्यक्तिवाद-(Individualism)

व्यक्तिवाद सिद्धान्त को फ्रेंच भाषा में 'लेसेज फेयर' (Laissez Faire) कहा जाता है जिसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तथा सरकार उसके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म 15 वीं तथा 16 वीं शताब्दी में तब हुआ जब पुनर्जागरण और सुधार आन्दोलन ने मध्ययुगीन परम्पराओं को पूर्णतः नष्ट कर दिया।

व्यक्तिवाद के तत्व -

हाबहाउस ने अपनी पुस्तक 'लिबरलिज्म' में व्यक्तिवाद के नौ तत्व बताए हैं, जो निम्न लिखित हैं - नागरिक स्वतंत्रता, राजकोषीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, स्थानीय, जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता।

व्यक्तिवाद के आधार -

- 1- नैतिक आधार - व्यक्तिवाद के नैतिक आधार का समर्थन कांट, फिकटे, हीगल और हम्बोल्ट ने किया है। इनके अनुसार व्यक्ति की उन्नति तभी हो सकती है जब वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तथा अन्तःकरण से कार्य करने में स्वतंत्र हो।
- 2- राजनीतिक आधार - व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के सिद्धान्तों से प्रेरणा प्राप्त की तथा जान बूझ कर कहा कि लोगों को प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, इस लिए राज्य का कार्य उनकी रक्षा तक ही सीमित होना चाहिए। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक साधन है न कि साध्य। इस लिए राज्य व्यक्ति की भलाई के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है।
- 3- वैज्ञानिक आधार - हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिवाद का प्राणिशास्त्रीय आधार पर समर्थन किया है। वह कहता है कि प्राणी जगत में जीव-जंतुओं तथा पशुओं में निरन्तर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में केवल शक्तिशाली प्राणी बच जाते हैं और निर्बल तथा अक्षम प्राणी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है। स्पेंसर ने कहा कि "सरकार को निर्धन तथा अस्वच्छ पशुओं को उन पर ही छोड़ देना

चाहिए ताकि निर्बल तन्त्र की शीघ्र ही समाप्ति हो जाए। उसे औद्योगिक प्रतियोगिता को भी दौड़ देना चाहिए वह कितनी ही सशक्त क्यों न हो, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिता के द्वारा सर्वोत्तम प्राणी शिखर पर आ जाते हैं।

4- आर्थिक आचार - एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nations' में व्यक्तिवाद का आर्थिक आचार पर समर्थन किया। उसका विचार था कि राज्य या सरकार को आर्थिक क्षेत्र में जहां तक भी हो सके, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ का इच्छुक होता है, उसकी यह भावना उसे अहमवसाय, उद्योग एवं कर्मठता की ओर अग्रसर करती है।

व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य के कार्य-

- 1- विदेशी आक्रमणों से राज्य और व्यक्तियों की रक्षा करना
- 2- व्यक्ति की व्यक्ति से रक्षा, जैसे - शारीरिक हानि, अपमान, वैयक्तिक नियन्त्रण या अवरोध आदि
- 3- सम्पत्ति की रक्षा करना
- 4- व्यक्तियों को सूटे अनुबंधों से रक्षा या ठीक अनुबंधों को तोड़ने वालों से रक्षा।
- 5- अयोग्यों से रक्षा
- 6- अवरोधक घुसाइयों से व्यक्तियों की रक्षा इत्यादि।